



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092026-276630
CG-DL-E-30092026-276630

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5001]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 22, 2026/भाद्र 31, 1948

No. 5001]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 22, 2026/BHADRA 31, 1948

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2026

का.आ. 5207(अ).— केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1202(अ), तारीख 13 मार्च, 2025 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

2. उक्त अधिसूचना में,—

(i) पैरा 1 में, क्रम संख्या (क) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(क) श्री संजय कुमार मेहता, भा.व.से.(सेवानिवृत्त)

292- एप्पलवुड्स विलास, शेला, अहमदाबाद, गुजरात-380058 — अध्यक्ष।”

(ii) पैरा 2 के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“2क. अध्यक्ष के रूप में श्री संजय कुमार मेहता का कार्यकाल प्राधिकरण के अन्य सदस्य के कार्यकाल के साथ सह-समाप्त होगा।”

[फा. सं. आईए3-13/3/2024-आईए.।।।]

रजत अग्रवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 1202(अ), तारीख 13 मार्च, 2025 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2026

S.O. 5207(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, *vide* number S.O. 1202(E), dated the 13th March 2025, namely: —

2. In the said notification, —

(i) in paragraph 1, for serial number (a) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely: —

“(a). Shri Sanjay Kumar Mehta, IFS(Retd.)

292-Applewoods Villas, Shela, Ahmedabad, Gujarat-380058

—

Chairman;”

(ii) after paragraph 2, the following paragraph shall be inserted, namely: —

“2A. The tenure of Shri Sanjay Kumar Mehta as Chairman shall be co-terminus with the tenure of the other Members of the Authority.”

[F. No. IA3-13/3/2024-IA.III]

RAJAT AGARWAL, Jt. Secy.

Note. - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1202(E), dated the 13th March 2025.